

52

R-1536-2113

134
28/8/12

1. श्रीमति रजिया मुल्लाना पति श्री खुर्रिद रहमद जी
 2. अंसद रहमद पिता श्री खुर्रिद रहमद जी
 3. जुल्फीकार रहमद पिता श्री खुर्रिद रहमद जी
 4. शाहिद रहमद पिता श्री खुर्रिद रहमद जी
 5. अनिस रहमद पिता श्री खुर्रिद रहमद जी
- सभी निवासी 231, अभिनंदन मेन कॉलोनी, मंदसौर
कृष्क ग्राम पित्याखेड़ी तहसील मंदसौर आवेदकगण

बनाम

1. मंजूर रहमद पिता श्री मकसूद रहमद जी
निवासी पहाड़ का चौक, शहर, मंदसौर
2. खलील रहमद पिता श्री शफीक रहमद जी मुसलमान
निवासी सिंचाई कॉलोनी, इत्लाम
3. फिरोज रहमद पिता श्री शफीक रहमद जी मुसलमान
निवासी पित्याखेड़ी तहसील मंदसौर
4. रईस रहमद पिता श्री शफीक रहमद जी मुसलमान
निवासी पहाड़ का चौक, शहर, मंदसौर
5. अल्ताफ रहमद पिता श्री मकसूद रहमद जी मुसलमान
निवासी पहाड़ चौक, शहर, मंदसौर
6. सर्फराज रहमद पिता श्री मकसूद रहमद जी मुसलमान
निवासी पहाड़ का चौक शहर, मंदसौर
7. इकबाल रहमद पिता श्री मकसूद रहमद जी मुसलमान
निवासी पहाड़ का चौक, शहर, मंदसौर अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

अधिनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त -1 मंदसौर के
न्यायालय के प्र.क्र. 85/अ-12/11-12, मंजूर रहमद बनाम
म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 29.06.12 से
असंतुष्ट होकर निगरानी ।

निरंतर....2

RTI
28/8/12

28/8/12

1946
10.4.13

R 1536-I13

18/9/15

याचिकाकर्ता द्वारा प्रेषित याचिका 110 उद्योग मंत्रालय
द्वारा कीर्तिका प्रकल्प में विपणन आदेश
दिनांक 29/6/12 के विरुद्ध उद्योग की है। अर्थात्
प्रकल्प में विरुद्ध प्रकार विपणन से है
एवंके लिए वांछित इलाके उद्योग करने
के लिए याचिकाकर्ता के अभिभाषक द्वारा समय
माँगा गया था। पूर्व में अर्थात् अर्थात्
को समय दिया जा चुका है। दिनांक 14/8/15

शासकमुरवा-75-फॉर्म-17-6-2015-5,000.

2



को अन्तिम बार समय दिया गया था परन्तु उसके पश्चात् एक बार और समय देने के पश्चात् आज भी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे यह प्रकट होता है कि आवेदक के द्वारा पत्रकार क्षेत्र सम्बन्धी कोई दस्तावेज नहीं है अतः उक्त स्थिति में याचना विराधार क्षेत्र के कारण न्याय्य की जाती है।

प्रमुख दायित्व रिजर्विडिया नापा

(4)

